



खान मार्केट

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

सं. बीएलएम/1/2013/एसजीजीआरजे/एटीओटीएच/आर.यू.- III

छठी मंजिल, 'बी'विंग, लोकनायक भवन

खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

6<sup>TH</sup> Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan

Khan Market, New Delhi-110003

दिनांक : 09-09-2015

नोटिस

विषय: अनुसूचित जनजाति के परिवार के साथ अत्याचार एवं उत्पीड़न के संबंध में श्रीमती गुड्डी देवी मीना पत्नी श्री बनवारीलाल, ग्राम-टहटडा थाना-रैणी, जिला-अलवर (राजस्थान) का अभ्यावेदन।

संदर्भ: कार्यालय पुलिस अधीक्षक, अलवर पत्रांक -अप/अल/एससी/एसटी/2015/21680  
दिनांक 28.08.2015

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री बनवारी लाल मीना से याचिका/शिकायत प्राप्त हुई है। आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अन्तर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। अतः इस आयोग के समसंख्यक नोटिस दिनांक 12.08.2015 के संदर्भ में आयोग के माननीय उपाध्यक्ष श्री रवि ठाकुर ने दिनांक 28.09.2015 को अपराह्न 05:00 बजे इस प्रकरण पर चर्चा/सुनवाई हेतु आपके साथ बैठक निश्चित की है।

आपसे अनुरोध है कि प्रकरण से संबंधित समस्त मूल दस्तावेजों सहित उक्त तिथि को वैयक्तिक तौर पर आयोग के समक्ष उपस्थित होने का कष्ट करें। इस संबंध में अभ्यावेदक श्री बनवारीलाल मीना को भी सलाह दे कि वे भी उक्त दिन उक्त बैठक में उपस्थित हों।

21/9/15

(राजेश्वर कुमार)

सहायक निदेशक

पुलिस अधीक्षक,

जिला-अलवर,

राजस्थान

प्रति सूचनार्थ :- श्री बनवारी लाल मीना, पति श्रीमती गुड्डी देवी मीना, ग्राम-टहटडा, थाना-रैणी, जिला-अलवर (राजस्थान)

Copy to: J-SSA, NIC.